राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः नर्सिंग/एनआरएचएम/09/ 210 दिनांकः– 23/6/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

विषयः–एनआरएचएम योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित जीएनएम में से दिनांक 28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहे अभ्यर्थियों को हटाने के संबंध में ।

संदर्भः– निदेशालय का पत्र कमांकः नर्सिग/एनआरएचएम/09/208 दिनांक 19.6.09

–:–

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक 28.2.09 को राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रथम चरण में जिला स्तर पर चयनित काफी अभ्यर्थी कम प्राप्तांक होने के कारण अपना स्थान बनाने में असफल रहे थे, जिससे व्यथित हो कर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर में याचिकाऐं दायर की गई थी । जिनमें से कुछ याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश देते हुये इन कम वरयिता के अभ्यर्थियों को हटाने पर तत्कालिक रोक लगाई गई थी । अब माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी लगभग सभी याचिकाओं का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है । जिसके परिपेक्ष में निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्र कामंक– नर्सिग/एनआरएचएम/09/208 दिनांक 19.6.09 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

उक्त संदर्भित पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एनआरएचएम योजना के तहत रखे जाने वाले जीएनएम के लिये दिनांक 28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची के, सहदन से चयन सूची से छूटे किन्तु वर्गवार कट ऑफ मार्क्स से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल (अग्रिम आदेश तक) नहीं हटाया जावे ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः नर्सिंग/एनआरएचएम/09/ 210 दिनांकः– 23/6/09

प्रतिलिपि– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा इस पत्र की पालना सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।